क्रम-संख्या–195

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 अक्टूबर, 2021

आश्विन 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2

संख्या 2028/84-2–2021-सी0एन0-957154

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०–325

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 102 की उपधारा (1) तथा धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) एवं (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य **उपभोक्ता** संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) से है;

(ख) **'उपभोक्ता** आयोग' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 के अधीन जिला में स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन राज्य में स्थापित

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से है;

(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य यथास्थिति, जिला आयोग अथवा राज्य आयोग के अध्यक्ष से है ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं ।

जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये संदेय वेतन एवं भत्ते

3-(1) अध्यक्ष, ऐसे वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा, जैसा कि किसी जिला न्यायाधीश के लिए अतिकाल वेतनमान में अनुज्ञेय हैं ।

(2) सदस्य, राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन तथा ऐसे अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा ।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशन भोगी हो, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जायेगी।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर पुनरीक्षण किया जायेगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये संदेय वेतन एवं भत्ते

4-(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य के उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के लिए अनुज्ञेय हैं ।

(2) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य सरकार के विशेष सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन तथा ऐसे अधिकारी के लिए यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा ।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी हो, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी ।

(4) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर पुनरीक्षण किया जायेगा।

चिकित्सीय स्वस्थता

5-किसी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता है।

आकस्मिक रिक्ति

6-यथास्थिति राज्य आयोग या जिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, मा0 मुख्यमंत्री जी के पास उपलब्ध सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

मकान किराया भत्ता

7-अध्यक्ष अथवा सदस्य उसी दर से मकान किराया भत्ता के लिए हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के तत्समान प्रस्थिति के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है ।

अवकाश और चिकित्सा उपचार तथा चिकित्सालयीय सुविधाएं

8-राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी एक कैलेंडर वर्ष में चौदह दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं दस दिवसों के चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे और वे चिकित्सा उपचार एवं चिकित्सालयीय सुविधाओं के भी हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार के तत्समान प्रस्थिति के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है ।

वित्तीय एवं अन्य हितों की घोषणा

9-अध्यक्ष अथवा सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, अपनी आस्तियों, देनदारियों तथा वित्तीय एवं अन्य हितों की घोषणा करनी होगी ।

अन्य सेवा शर्तें

10-(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष विधि-व्यवसाय नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, में इन हैसियतों से कार्य करते समय कोई मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा ।

(3) यथास्थिति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिये किसी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा हो, के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबंधित किसी नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

पद और गोपनीयता की शपथ

11–अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र एक में पद की शपथ तथा प्रपत्र दो में गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा।

वेतन, पारिश्रमिक तथा अन्य भत्तों की अदायगी

12–वेतन, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्तों की अदायगी, राज्य सरकार की संचित निधि से की जायेगी ।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव ।

अनुलग्नक

(नियम 11 देखें)

प्रपत्र-एक

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्रपत्र

मैं ....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग.....के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोतम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध-अंत:करण से तथा किसी भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना निर्वहन करूँगा और मै संविधान और देश की विधि की रक्षा करूँगा ।

(

)

प्रपत्र-दो

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र

मैं ....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,...../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग.....के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष /सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए यथापेक्षित के सिवाय, मेरे लिए विचार हेतु प्रस्तुत किये गए अथवा राज्य आयोग / जिला आयोग के अध्यक्ष /सदस्य के रूप में ज्ञात हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा ।

( )

आज्ञा से,

वीना कुमारी,

प्रमुख सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2028/LXXXIV-2–2021-C.N. 957154, dated October 6, 2021:

No. 2028 /LXXXIV-2–2021-C.N. 957154

Dated Lucknow, October 6, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 102 and clauses (h) and (m) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, namely :-

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (SALARY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE OF PRESIDENT AND MEMBERS OF THE STATE COMMISSION AND DISTRICT COMMISSION) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019);

(b) 'Consumer Commission' means a District Consumer Disputes Redressal Commission established in a district under section 28 of the Act, and a State Consumer Disputes Redressal Commission established in a State under section 42 of the Act;

(c) 'Member' means a Member of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(d) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, and defined

in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Salaries and allowances payable to President and Members of District Commission

3. (1) The President shall be entitled to the salary and allowances as are admissible to a District Judge in the super time scale of pay.

(2) A Member shall receive a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government and other allowances as admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or Member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the President and Member at the rate of 3%.

Salaries and allowances payable to President and Members of the State Commission

4. (1) President of the State Commission shall receive the salary and other allowances as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.

(2) A Member of the State Commission shall receive a pay equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of a Special Secretary of the State Government and other allowances as are admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or Member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of a Member at the rate of 3%.

Medical fitness

5. No person shall be appointed as President or Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

Casual vacancy

6. In case of casual vacancy in the office of President in the State Commission or District Commission, as the case may be, the Chief Minister shall have the power to authorize from amongst the available members to act as the President.

House rent allowance

7. The President or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as is admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

Leave and medical treatment and hospital facilities

8. The President and Members of the State Commission and the District Commission shall be entitled to fourteen days of casual leave and ten days of medical leave in a calendar year, and they shall also be entitled for medical treatment and hospital facilities as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

Declaration of financial and other interests

9. The President or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

Other conditions of service

10. (1) The President or Member shall not practice before the National Commission, the State Commission or the District Commission after retirement from the service of the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(2) The President or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(3) The President or Member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on

which they cease to hold office, accept any employment in, or be connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the State Commission or the District Commission :

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013).

Oaths of office and secrecy

11. Every person appointed to be the President or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in Form-I and oath of secrecy in Form-II annexed to these rules.

Defrayment of salary, remuneration and other allowances

12. The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

ANNEXURE

(*See* rule 11)

FORM-I

Form of Oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A. B., having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, ……../ District Consumer Disputes Redressal Commission, ……..do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

( )

FORM-II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A. B., having been appointed as the President/Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission, ……../ District Consumer Disputes Redressal Commission, …… do solemnly

affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

( )

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 340 राजपत्र–2021–(742)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा0 उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप–2021–(743)–900 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।